बिहार सरकार
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग)
कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार
(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)
तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– FC/30/2020-808

प्रेषक,

एम. जे. अली,
सहायक वन संरक्षक।

प्रथम स्मार

सेवा में,

श्री दिनेश पासवान,
पिता–श्री कैलाश पासवान,
ग्राम+पोस्ट–सीमरी, थाना–विद्यापतिनगर,
जिला–समस्तीपुर।

पटना 14, दिनांक– 24/10/2024

विषय– श्री दिनेश पासवान द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत के बाजीतपुर करनैल ग्राम के थाना–ताजपुर, खाता संख्या–76, 38, प्लॉट संख्या–1419, 1420, समस्तीपुर–पटोरी पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने के क्रम में पहुँच पथ निर्माण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् 0.02025 हे. वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची का पत्रांक FP/BR/Others/44447/2020/4001, दिनांक 15.06.2020 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 618, दिनांक 27.07.2020

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/44447/2020/4001, दिनांक 15.06.2020 द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर कुल 13 शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I Approval) प्रदान की गयी है। तदआलोक में इस कार्यालय के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण एवं NPV मद में राशि जमा करने तथा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्तों का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया है। लगभग 4 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी अभीतक आपके द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, जो खेदजनक है।

2. इस कार्यालय के पत्रांक 618, दिनांक 27.07.2020 द्वारा क्षतिपूरक वनरोपण की राशि का आक्कलन रू. 287 प्रति मा.दि. के आधार पर किया गया था। वर्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा मजदूरी दर में वृद्धि करते हुए रू. 412 प्रति मा.दि. किया गया है।

अतएव सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त्त संख्या–2 के आलोक में हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 412/प्रति मा.दि.) के आधार पर रू. 8,97,311/– (आठ लाख सनतानवे हजार तीन सौ ग्यारह रूपये) मात्र की राशि को प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार को उपलब्ध कराएगी।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143

उक्त राशि का आकलन वर्तमान मजदूरी दर रू. 412 प्रति मानव दिवस पर किया गया है। श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनरोपण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा NPV की दर में संशोधन कर रू. 9,57,780/– प्रति हे. निर्धारित की गयी है। तदआलोक में अपयोजित होने वाली वन भूमि कुल– 0.02025 हेक्टेयर के लिए NPV की राशि रू. 9,57,780/– प्रति हेक्टेयर की दर से कुल रू० 19,395/– (उनीस हजार तीन सौ पंचानवे रूपये मात्र) को प्रयोक्ता एजेन्सी विभाग को उपलब्ध कराएगी।

4. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 की राशि रू. 8,97,311.00 (+) रू. 19,395.00 अर्थात कुल रू. 9,16,706 (नौ लाख सोलह हजार सात सौ छः रूपये) मात्र को विभागीय वेवसाईट parivesh.nic.in से सर्वप्रथम e-challan Generate करने के उपरांत Download किया जायेगा तथा संबंधित बैंक खाता में राशि हस्तान्तरित किया जायेगा।

5. राशि हस्तान्तरित करने के उपरांत प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस कार्यालय को UTR No. एवं दिनांक के साथ मूलप्रति उपलब्ध करायी जायेगी।

उपर्युक्त के अतिरिक्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के प्रसंगाधीन पत्र में उल्लेखित कडिका 01 से 13 तक अधिरोपित शर्त्तों का पूर्ण अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय को समर्पित करेंगे, ताकि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय के रॉची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से विषयाधीन मामले पर अन्तिम स्वीकृति (Stage- II Clearance) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभाजन,

23.x.24

(एम. जे. अली)

सहायक वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC/30/2020- 808 दिनांक 24/10/24

प्रतिलिपि : वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि हरितावरण को बनाये रखने के लिए क्षतिपूरक वनरोपण मद में 100 पौधों के रोपण का दस वर्षीय प्राक्कलन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्धारित मानक दर एवं अद्यतन मजदूरी दर (रू. 412/प्रति मा.दि.) के आधार पर प्रयोक्ता एजेंसी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

23.x.24

(एम. जे. अली)

सहायक वन संरक्षक।

ज्ञापांक FC/30/2020- 808 दिनांक 24/10/2024

प्रतिलिपि : वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.x.24

(एम. जे. अली)

सहायक वन संरक्षक।

Email-apccfcampa.bih@gmail.com; मो० 8986153143